कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 12.09.2023

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल–13 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा–151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

06 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार–

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल के निर्देशन में चलाए जा रहे वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान के क्रम में जनपद गोंडा के थाना छपिया पुलिस ने 01, थाना वजीरगंज पुलिस ने 01, थाना कटराबाजार पुलिस ने 01 व थाना को0 नगर पुलिस ने 03 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरूद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. थाना मनकापुर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. शिवदीन सोनकर पुत्र नान्हू नि0 ग्राम शम्भूनगर बुटहा थाना को0 मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–504/23, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

02. थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. कुमारे पुत्र महादेव नि0 ग्राम तेलईपुरवा मौजा हिन्दू नगर बांकी थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–316/23, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 12.09.2023

नशीली दवा खिलाकर महिला से दुष्कर्म करने वाला पैथालॉजी संचालक/मालिक गिरफ्तार –

दिनांक 11.09.2023 को थाना कटराबाजार क्षेत्र की रहने वाली एक महिला द्वारा थाना करनैलगंज में सूचना दी गयी कि दिनांक 31.08.2023 को थाना करनैलगंज क्षेत्र स्थित डिजिटल जायनोसिस सेन्टर नाम के पैथालॉजी सेण्टर में ईलाज कराने हेतु आयी थी। जहां पर पैथालॉजी संचालक/मालिक नईम उर्फ सोनू पुत्र नियाज द्वारा नशीली दवा खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। सूचना को संज्ञान में लेते हुए पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल द्वारा घटना की जांच हेतु प्र0नि0 को0 करनैलगंज को निर्देशित किया गया था। जांच के दौरान घटना सही पायी गयी।

आज दिनांक 12.09.2023 को थाना को0 करनैलगंज पुलिस द्वारा डिजिटल जायनोसिस सेन्टर नाम के पैथालॉजी सेण्टर संचालक/मालिक नईम उर्फ सोनू को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0 करनैलगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त–
01. नईम उर्फ सोनू पुत्र नियाज नि0 निदुर बाजार थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–
01. मु0अ0सं0–539/23, धारा 328,376,509,384 भादवि थाना को0 करनैलगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–
प्र0नि0 थाना करनैलगंज चितवन कुमार मय टीम।

<u>सराहनीय कार्य</u>
<u>प्रेस नोट</u>
<u>मीडिया सेल, जनपद गोण्डा</u>
<u>दिनांक 12.09.2023</u>

<u>थाना कौड़िया पुलिस ने नशीली गोलियों के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार को किया गिरफ्तार–</u>

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री मे संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षो को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में आज दिनांक 12.09.2023 को थाना कौड़िया पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर बिरवा टावर के पास से अभियुक्त इमरान उर्फ मान को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 200 अल्प्राजोलम की नशीली गोलिया बरामद किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना कौड़िया में एन0डी0पी0एस0 एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त–</u>

01. इमरान उर्फ मान पुत्र अकरम नि0 चूटीपुर मौजा बिरवा थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।

<u>पंजीकृत अभियोग–</u>

01. मु0अ0सं0–304/23, धारा 8/21 एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।

<u>बरामदगी–</u>

01. 200 अल्प्राजोलम टैबलेट।

<u>गिरफ्तार कर्ता–</u>

उ0नि0 सुरेश कुमार सिंह मय टीम।